

### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 10, 2018/आश्विन 18, 1940
No. 333]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2018/ASVINA 18, 1940

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2018

- सं. 2(2)/2018-एसपीएस.—केन्द्र सरकार 'जम्मू और कश्मीर हेतु औद्योगिक विकास योजना, 2017' शीर्षक वाली भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2(2)/2018-एसपीएस दिनांक 23 अप्रैल, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है:
- 2. 'अनिवार्य अपेक्षा' शीर्षक के पैरा 7 के तहत मौजूदा उप-पैरा 7.5 को एतद्दवारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:—

**इसके स्थान परः** 15.06.2017 को अथवा उसके पश्चात उत्पादन आरंभ करने वाली इकाइयों को 30.09.2018 तक डीआईपीपी में पंजीकरण कराने की अनुमित होगी।

यह पढ़ा जाएः 15.06.2017 को अथवा उसके पश्चात उत्पादन आरंभ करने वाली इकाइयों को 31.10.2018 तक डीआईपीपी में पंजीकरण कराने की अनुमित होगी। इसके बाद अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा।

डॉ. वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

5966 GI/2018 (1)

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department of Industrial Policy and Promotion)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2018

No. 2(2)/2018-SPS.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 2(2)/2018-SPS dated the 23<sup>rd</sup> April, 2018 titled 'Industrial Development Scheme for Jammu and Kashmir, 2017'.

2. The existing sub para 7.5 under para 7 thereof titled 'Mandatory requirement', is hereby amended as under:-

<u>FOR:</u> Units which have commenced production on or after 15.06.2017 will be allowed to register with DIPP up to 30.09.2018.

**<u>READ:</u>** Units which have commenced production on or after 15.06.2017 will be allowed to register with DIPP up to 31.10.2018. No further extension will be allowed.

Dr. VANDANA KUMAR, Jt. Secy.